

**बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना**

पटना, दिनांक-11/10/2012

संख्या-05/स्था0-95/2010 परि0-4133 सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-12451 दिनांक 06.09.2012 द्वारा अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु परिवहन विभाग में सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित छः (6) पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तंभ 5 में अंकित जिले में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष करारोपण पदाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं.	पदाधिकारी का नाम/ कोटि क्रमांक	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन स्थल	नवपदस्थापन का जिला
1	2	3	4	5
1	श्री वरूण कुमार मिश्रा, 1083/08	दरभंगा	वरीय उप समाहर्ता बेगूसराय	करारोपण पदाधिकारी, चैनपट्टी चेकपोस्ट, गोपालगंज
2	श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, 997/08	सारण	वरीय उप समाहर्ता जमुई	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-करारोपण पदाधिकारी, गया
3	श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, 1277/08	गया	वरीय उप समाहर्ता भोजपुर	करारोपण पदाधिकारी, रजौली चेकपोस्ट, नवादा
4	श्री शंभु शंरण, 1066/08	नालंदा	वरीय उप समाहर्ता बेगूसराय	करारोपण पदाधिकारी, कर्मनाशा, कैमूर (भभुआ)
5	श्री जय प्रकाश नारायण, 1121/08	उत्तर प्रदेश	वरीय उप समाहर्ता शेखपुरा	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना
6	श्री अमिताभ सिन्हा, 1263/08	बेगूसराय	वरीय उप समाहर्ता मुंगेर	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना, अतिरिक्त प्रभार विशेष कार्य पदाधिकारी (मुख्यालय) परिवहन विभाग, बिहार, पटना

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा- 213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नवपदस्थापित अपर जिला परिवहन पदाधिकारी को निबंधन, अनुज्ञापन एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्ति उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान की जाती है ।

3. उपरोक्त नवपदस्थापित अपर जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अपने पूर्व पदस्थापन वाले पद का पदभार त्याग करते हुए अविलंब नवपदस्थापित वाले पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे ।

4. सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी होंगे ।

5. क्रमांक- 2 पर अधिसूचित अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, गया चेक पोस्ट, डोभी के करारोपण पदाधिकारी के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Asw...
सरकार के प्रधान सचिव, 11/10/12

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 05/स्था0-95/2010 परि0-4133 / पटना, दिनांक- 11/10/2012
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ पांच (05) अतिरिक्त प्रतियों (सी.डी.सहित) प्रेषित ।

Asw...
सरकार के प्रधान सचिव,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 05/स्था0-95/2010 परि0- 4133 / पटना, दिनांक- 11/10/2012

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/ सभी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी / सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षक / सभी संबंधित प्रवर्तन अवर निरीक्षक/ श्री वरूण कुमार मिश्रा, वरीय उप समाहर्ता बेगूसराय/ श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, वरीय उप समाहर्ता जमूई/ श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ श्री शंभु शंरण, वरीय उप समाहर्ता बेगूसराय/ श्री जय प्रकाश नारायण, वरीय उप समाहर्ता शेखपुरा/ श्री अमिताभ सिन्हा, वरीय उप समाहर्ता मुंगेर/ माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग/ परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारी/ कर्मचारी / बजट शाखा, परिवहन विभाग/ स्थापना शाखा, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव,
बिहार, पटना ।

०९

प्रधान सचिव के कार्यालय
पटना, बिहार

05/स्था0-95/2010-संख्या 4133-दिनांक 11/10/2012

के द्वारा जारी किया गया है।

प्रधान सचिव के कार्यालय
पटना, बिहार